माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2015 निगरानी निग. 3393-II/15

श्री.....
द्वारा आज दि.....को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– रवि

2– रहीस नाबालिक दत्तक पुत्रगण रामकिशुन पुत्र मुल्ला द्वारा सरपरस्त माता श्रीमती रानी पत्नी स्व. श्री शिब्बू पाल निवासी – ग्राम अगोरा तहसील व जिला दतिया

---आवेदकगण

बनाम

रामकिशुन पुत्र श्री मुल्ला निवासी ग्राम छेवला की दफाई तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

--- अनावेदक

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय ए.के. श्रीवास्तव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 264/2012–13 अपील में पारित आदेश 30.09.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत हैं।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

1– यहकि, विवादित भूमि ग्राम मडगवाँ हल्का 42 राजस्व निरीक्षण मण्डल उदगुवाँ तहसील व जिला दतिया स्थित भू–सर्वे क्रमांक 761, 763, 764, 784, 785, 794 कुल किता 6 कुल रकवा 2.80 हैक्टेयर विक्रेतागण भगवान सिंह, महेन्द्र सिंह, गुरूदयाल, केदार, चिरनजीत पुत्रगण पूरन आदिवासी निवासी ग्राम मडगुवां जिला दतिया एवं राममती वेवा लखन, रामा वीरन पुत्रगण छुट्टा आदिवासी निवासी ग्राम जरगुवाँ तहसील करैरा जिला शिवपुरी से आवेदकगण रवि, रहीस पुत्रगण संरक्षक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3393-दो/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.12.15	यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर के प्र.क्र. 264/अपील/12-13 में पारित आदेश दि. 30.9.15 के विरुद्ध रा. मं. में प्रस्तुत हुई है। 2. प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है। अपर तह. कृत उदगवां तह. दतिया द्वारा उनके प्र.क्र. 27/अ-6/11-12 में पारित आदेश दि. 7.5.12 में विक्रय पत्र दि. 25.11.11 के आधार पर भूमि सर्वे क्र. 761, 763, 764, 784, 785, 794 कुल किता 6 रकबा 2.80 हे० का नामान्तरण निगराकारगण रवि, रईसा नाबालिग दत्तक पुत्रगण रामकिशन (गैर निगराकार) के पक्ष में किया गया। इस आदेश की अपील रामकिशन की ओर से SDO दतिया के समक्ष हुई, जहाँ इस विक्रय पत्र के विक्रेताओं, दोनों नाबालिग क्रेताओं तथा म.प्र. शासन को प्रतिपक्षकार बनाया गया। SDO ने इस अपील प्र.क्र. 01/अ-23/11-12 में पारित आदेश दि. 18.9.12 से तह. का नामान्तरण आदेश दि. 7.5.12 इस आधार पर निरस्त किया कि वादभूमि के समस्त विक्रेता एवं रामकिशन (गैर-निगराकार) आदिवासी थे, उसके क्रेता रवि एवं रईस (निगराकारगण) गैर-आदिवासी थे, तथा उनके (SDO के) अनुसार रवि एवं रईस को रामकिशन (आदिवासी) के दत्तक पुत्र बताकर आदिवासियों की भूमि गैर-आदिवासियों को विक्रय द्वारा अन्तरित	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके ~~कारणों से ... विक्रय पत्र~~ अतिरिक्त रामकिशन ने SDO के समक्ष भूमि का क्रय करने एवं विक्रय मूल्य अदा करने से इन्कार किया, और भूमि के कथित विक्रेताओं ने भी विक्रय पत्र कराने तथा विक्रय-धन प्राप्त करने से SDO के समक्ष इन्कार किया। इन आधारों पर SDO ने विक्रय पत्र को संदिग्ध मानते हुए, संहिता (MPLRC) की धारा 170(2) का संदर्भ ले धारा 165(5) का उल्लंघन मानते हुए, तह. द्वारा पारित नामांतरण आदेश दि - 7.5.12 निरस्त किया।	
	इस की अपील रवि एवं रहीस की ओर से अपरआयुक्त ग्वालियर के समक्ष हुई, जहाँ प्र.क्र. 264/12-13/अपील में पारित आदेश दि. 30.9.15 से SDO का आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। इसके विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।	
3.	मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि रवि एवं रहीस की माता रानी ने अपने प्रथम पति शिब्बू की मृत्यु के बाद रामकिशन से विवाह किया, रामकिशन ने नोटराइज्ड गोदनामे से रवि एवं रहीस को गोद लिया, तथा दोनों को आपत्ति नहीं है यदि तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश	

10.12.15

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3393-दो/15 ..... जिला ..दतिया.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यथावत कर दिया जाता है तो। रामकिशन की ओर से एक आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर यह भी कहा गया कि रामकिशन ने SDO के समक्ष अपील नहीं की थी, किसी फर्जी व्यक्ति ने वह अपील की थी, अतः SDO एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त कर नामान्तरण आदेश बहाल किया जाए।	
4.	मेरे द्वारा अभिलेखों के अध्ययन के साथ प्रकरण के सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया, जो निम्नानुसार है:-	
	(क) SDO के समक्ष वाद भूमि के क्रेताओं एवं विक्रेताओं दोनों ने विक्रय संव्यवहार, विक्रय पत्र के निष्पादन, एवं विक्रय मूल्य की लेन-देन से इन्कार किया है, जिस पर अपर-आयुक्त ने समवर्ती निष्कर्ष दिया है।	
	(ख) SDO का यह निष्कर्ष, कि रवि एवं रहीस (गैर-आदिवासियों) को रामकिशन (आदिवासी) का दत्तकपुत्र दर्शाकर आदिवासी विक्रेताओं की भूमि का विक्रय करने का प्रयास प्रकरण में किया गया है जो उन्होंने	

10.12.15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	धारा 170(2) का संदर्भ लें धारा 165(5) का उल्लंघन माना है, महत्वपूर्ण है। (ग) रवि एवं रहीस भूमि विक्रय दिनांक को नाबालिग थे। पिता शिब्बू की मृत्यु के बाद पैतृक भूमि पर उनका एवं उनकी माता का, लागू विधि के अनुसार, उत्तराधिकार बनना चाहिये। रवि एवं रहीस के बालिग हो जाने तक, स्थावर संपत्ती (भूमि) पर उनके अधिकार को, बगैर, अथवा विधिक-संरक्षक सक्षम न्यायालय के माध्यम से घोषित कराए, विक्रय/अन्तरण के माध्यम से समाप्त अथवा क्षीण किया जाना, मान्य नहीं किया जा सकता। इस संबंध में रामकिशन के हित में रवि एवं रहीस का नोटराइज़्ड गोदनामा करा दिया जाना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। नाबालिग व्यक्तियों का विधिक संरक्षक सक्षम न्यायालय के माध्यम से घोषित कराए बगैर, उनके (नाबालिग व्यक्तियों के) हितों को समाप्त अथवा क्षीण किया जाना स्वीकार नहीं किया जा	

10/2/15

XX-IX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति,आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. 3393-दो/15 जिला ...दतिया.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सकता, भले ही वह उनकी स्वयं की माता या गोद लेने वाले सौतेले पिता ने ही क्यों ना किया हो।

इस बिन्दु के प्रकाश में भी कथित विक्रय पत्र को मान्य नहीं किया जा सकता।

5. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मै॰ तह॰ के नामान्तरण आदेश के निरस्तीकरण में, तथा SDO एवं अपरआयुक्त के विवादित आदेशों में, कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ।

अतः, SDO एवं अपर-आयुक्त के आदेश यथावत् रखते हुए निगरानी अग्राह्य कर प्रकरण खारिज करता हूँ।

आदेश पारित।
पत्रवार सूचित हो।
दा॰ द॰ हो।

10.12.15

[कृ. प. उ.